न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

न्यायासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **395/2015**
CMS NO. : **2015/00317**

-: वादीगण :-

1. धन्नाराम पुत्र आदाराम
2. पुखाराम पुत्र आदाराम जातियान कुमावत निवासी खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला- पाली।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. भानाराम पुत्र भोलाराम
2. पुखाराम पुत्र भोलाराम के का. मु.
   2.1 बिदकी पत्नी पुखाराम
   2.2 धर्माराम पुत्र पुखाराम
   2.3 विशनाराम पुत्र पुखाराम
   2.4 छोगाराम पुत्र पुखाराम
3. ओगड़राम पुत्र गेपरराम
4. नारायण पुत्र धोकलराम
5. ढ्गलाराम पुत्र हीराराम
6. चम्पालाल पुत्र हीराराम
7. पप्पुराम पुत्र हीराराम
8. नोरराम पुत्र मुन्नाराम
9. केसा पुत्र मुगनाराम
10. बिदकी पत्नी मुगनाराम जातियान- कुमावत निवासीगण खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला पाली।
11. तहसीलदार जैतारण पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:- 24.07.2015**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 27/09/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 169 रकबा 105-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 170 रकबा 07-10 बीघा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 171 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 172 रकबा 10-12 बीघा चाही प्रथम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 123 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 173 रकबा 00-13 बीघा गैर मुमकिन बेरा की आई हुई है। जिसके वादीगण 2/12 ये हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी इस आराजी की वादपत्र के पेश है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 169, 170, 171, 172 कुल खसरा 04 कुल रकबा 123 बीघा 16

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

की भूमि को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया गया। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाति राजस्व रेकर्ड दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि का खातेदारों के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा तथा उक्त भूमि सरहद खिनावड़ी में खेड़ा महाराज पुरा की सरहद से चिपते हुये चमी दक्षिणी तरफ आई हुई है। आपसी सहमति के खातेदारों ने बंटवाड़ा भी किया । उस समय वादीगण एवं हीराराम जी के वारिसान के 1/3 वें हिस्से की भूमि डा महाराजपूरा की सरहद से चिपते हुए भाग से पश्चिमी दक्षिणी तरफ का हिस्सा दीगण व हीराराम जी के हिस्से में रखा था। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ओगडराम व ारायणराम जी के हिस्से में उसके बाद का पश्चिमी तरफ का हिस्सा रखा था व इन ोनों हिस्सेदारों के दक्षिणी तरफ का हिस्सा प्रतिवादीगण भानाराम व पुखाराम के हिस्से में रखा था। इसी माफिक बंटवाड़ा किया जाकर इसका लिखत कर पक्षकारों ने सहमति स्वरूप रूबरू साक्षीगण के अपने हस्ताक्षर भी किये थे। तथा उक्त बंटवाड़ा दिनांक 06.05.1985 वार सोमवार को किया जाकर लिखित किया गया व सभी खातेदारों की सहमति स्वरूप इस लिखत बंटवाड़ा पर हस्ताक्षर किये थे। तब से ही वादीगण व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने हिस्सो अनुसार इस आराजी पर काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है। नकल लिखत इस वादपत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से पक्षकारों के बीच विवादित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो गया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाति ही दर्ज रही थी। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज रहने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की नियत में अब खोट आ गई है एवं यह आपसी सहमति से किये हुये बंटवाड़ा को नहीं मान कर के मौके पर लडाई झगड़ा व विवाद कर रहे हैं। तथा वर्षो पूर्व से चली आ रही खन्दक व माठ को तोड़कर के बतौर अतिक्रमी के वादीगण की भूमि में प्रवेश कर बाघा व अडचन भी पैदा कर रहे हैं। वादीगण के हक हिस्से की भूमि के चारों तरफ पट्टिया रोपकर तारबंदी की हुई है उक्त पट्टिया व तारबंदी तोड़ने को भी प्रतिवादीगण आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार का विवाद किये जाने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार समझाईश की व निवेदन किया कि इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है इसी अनुरूप आप सभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवा दिरावे, ताकि अपने मध्य किसी प्रकार से कोई विवाद नही हो, किन्तु प्रतिवादीगण इसमें कतई सहमत नहीं है। भूमि शामलाति दर्ज होने की वजह से विवाद हो रहा है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी, जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहते है। जिसमें भी प्रतिवादीगण बाधा व अडचन पैदा कर रहे है । वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण भानाराम व पुखाराम द्वारा नहीं मानने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करने से एवं आराजी के बंटवाड़ा को लेकर के वाद विवाद भी करने पर वादीगण के पास ऐसी विषम परिस्थितियों में यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त व शामलाति

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

, एवं इसी आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 माठ व बंटवाड़ा को लेकर वादीगण से आये दिन वाद विवाद व लड़ाई कर रहे है, एवं मौक पर की की हुई बंदी व पट्टियों को तोड़कर प्रतिवादीगण वादीगण की हक हिस्से की भूमि पर बतौर तिक्रमी के अपना कब्जा जमाने को आमादा है। इसी नियत जबरदस्ती लाठी लकड़ी बल पर वादीगण के हक हिस्सी की कृषि भूमि में बाधा पैदा कर रहे विवादित राजी सम्पूर्ण भूमि अकेले ही दबा लेना चाह रहे है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण ख्या 01 से 04 व उनके परिवार वाले विधिक प्रावधानों से परे जाकर वादीगण के ब्जा कारत में बाधा व अड़चन कर रहे है। दिनांक 23.07.2015 को प्रतिवादीगण ख्या 01 से 04 ने शाम के समय मौका देखकर वादीगण की खातेदारी युदा खेत आये एवं खड़ी तारबंदी व पट्टिया तोड़ने का प्रयास किया जिस पर वादीगण ने सका विरोध किया तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया कथन किया कि आज कि हम सफल नहीं हो पाये लेकिन आईन्दा कभी भी मौका देखकर तुम्हारी तारबंदी व पट्टिया हटा देंगे। एवं सम्पूर्ण भूमि पर हम कब्जा कर लेगें। वादीगण कानून को मानने वाले सीधे सादे व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो लाठी लकड़ी के बल पर वादीगण की भूमि पर बतौर अतिक्रमी के काविज होने को आमादा है, इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी क़दर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ़ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 11 तहसीलदार जी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है, प्रार्थना पत्र अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का सादर पेश है। बिनाय बाद दिनांक 24.07.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर बमुकाम खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न होता है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादीगण की ओर जवाबदावा पेश किया गया जो सामिल मिसल है तथा प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या एक में दर्ज कृषि भूमि ख नं 169,170,171,172 व ख नं 173 वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की स्थित है। जिसमे वादीगण का 2 / 12 हिस्सा है। उक्त भूमि विवादरहित है। वादपत्र के पद संख्या दो में दर्ज कथन का जबाब है कि उक्त भूमि खातेदारान् की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ती खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या पांच से सात व
ग्यारह का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी
तीन व चार का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार व कब्जा काश्त है। उक्त कृ
मि का खातेदारान् के बीच दिनांक 06/05/1985 को सहमति से पक्षकारान् व
गण की उपस्थिति मे बंट्वाडा होने के कथन पूर्णतया गलत झूठे मनमाने है।
थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान अनुसार खातेदारान् की
ति से विभाजन का अधिकार तहसीलदार को प्रदत किया हुआ है तथा पक्षकारान्
ीच विवाद होने पर बंट्वाडा हेतु उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम अधिकारी है। भूमि
कवे का लगान का भी अलग अलग निर्धारित होता है तो ही बंट्वाडा विधिसम्मत्
ा जाता है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि जिसे उतरदाता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत
री नवशे अनुसार बिन्दु ए बी सी डी ई एफ जी से दर्शाया है तथा इस भूमि के
ा और वक्त सैटलमेन्ट से खन्दक भी लगी हुई है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या पांच
ग्यारह की भूमि को हरे रंग प्रतिवादी संख्या एक व दो की भूमि को पीले रंग व
तेवादी संख्या तीन व चार की भूमि को लाल रंग से दर्शाया है सामलाती रास्ते की
मि को सफेद रंग व सामलाती कुऐ की भूमि को नीले रंग से दर्शाया है। वादीगण
नका की मात्र 2/12 हिस्सा ही बनता है जो उतरदाता प्रतिवादी संख्या एक व दो
ी भूमि दिन प्रतिदिन दखलन्दाजी बाधा पटि्या व तारबन्दी को तोड्ते रहते है, पेड़
ौधों को काट्ते है व प्रतिवादी के हिस्से की भूमि को अपनी भूमि में मिलाते है
जिनको मना करने पर नहीं मानते हैं मौके पर उतरदाता प्रतिवादीगण कई बार नापचौप
करवाने बाबत कहते हैं परन्तु हर बार वादीगण मुन्तकील बिन्दू को खूर्द बुर्द करते है।
प्रतिवादी संख्या एक से चार की नियत में खोट नहीं बल्कि नजरी नक्शे मे बताये
बिन्दू ए बी सी डी ई एफ जी खन्दक में स्थित भूमि जिसमे वादीगण का 2/12
हिस्से से अधिक 2-05 बीघा भू भाग पर अधिक कब्जा कर रखा है उतरदाता
प्रतिवादीगण कानूनी बंट्वाडा बाबत् मना नहीं करते है बल्कि वादीगण अपने हिस्से से
अधिक आई सामलाती भूमि पर लेना चाहता है सामलाती भूमि मे तथा परिवार की
भूमि होने से जो वादीगण ने उतरदाता प्रतिवादी के लिये अतिक्रमी का कथन किया
है जो कानूनन लागू नहीं होता हैं जो कथन मात्र मनमाने व गलत अंकित किये है।
वादीगण ने अपने हिस्से से अधिक भूमि दबाने की नियत से उतरदाता प्रतिवादी संख्या
एक व दो की 1/3 हिस्से की पीले रंग में आई भूमि की पटि्या व तारबन्दी को
वादीगण इनके द्वारा लगाये असामाजिक तत्व/गुण्डो द्वारा दिनांक 23/07/2015 को
रात्रि में करीब 12.00 बजे तोडफड व खुर्द बुर्द करने लगे तब उत्तरदाता प्रतिवादीगण
ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की व बोई मूंग की फसल
को पूर्णतया नष्ट कर दी जिसकी एक रिपोर्ट भी प्रतिवादी संख्या एक व दो की और
से पुलिस थाना जैतारण में पेश की जिसके सी आर नम्बर 324/2015 अपराध
अन्तर्गत धारा 447, 458, 323, आईपीसी सरकार बनाम पारसराम वगैरा का दर्ज
किया जिसका चालान भी न्यायालय ए सी जे एम कोर्ट जैतारण में वादीगण व अन्य
के विरुद्ध पेश हुआ। वादीगण द्वारा बार बार यह कथन करना कि उतरदाता बंट्वाड़ा
करने से मना करने के भी पूर्णतया गलत झूठे मनमाने अंकित किये है मात्र वादीगण

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हिस्से मे आई भूमि से अधिक भूमि को जिसका रकबा 2-05 बीघा है। जो दीगण की हडपने की नियत से मात्र गलत झूठा वादपत्र पेश किया है जो वादपत्र ाय नहीं है उतरदाता प्रतिवादीगण नजरी नक्शे में बताये बिन्दू ए बी सी डी ई जी खन्दक के अन्दर स्थित भूमि का माफिक हिस्सेनुसार बंटवाडा करवाना चाहे उसके लिये कभी मना नहीं किया है व बंटवाडा हेतु तैयार व तत्पर है। अन्य त गलत है। वादपत्र के पद संख्या तीन में दर्ज कथन का जवाब है कि राजस्व ड में खातेदारान् की सामलाती भूमि अवश्य दर्ज हैं प्रतिवादी संख्या एक व दो ा बंटवाडे को लेकर दिन प्रतिदिन विवाद झगडा करना, पटिया व तारबन्दी को ना, उनके हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण करना आदि के कथन पूर्णतया गलत व मनमाने अंकित किये है जबकि वादीगण प्रतिवादी संख्या एक व दो अपने 1/3 स्से की भूमि को मात्र धनबल लाठी के बल पर अपने हिस्से की भूमि में मिलाना हते है तथा मौके पर वादीगण अपने 2/12 हिस्से से करीब 2-05 बीघा अधिक भाग जबरदस्ती अपने हिस्से मे मिलाना चाहते है व अतिक्रमण करना चाहते है। ादीगण अपने 2/12 हिस्से की भूमि पर काश्त करने में कभी भी उतरदाता प्रतिवादीगण ने रोकटोक दखलन्दाजी बाधा आदि पैदा नही की। प्रतिवादी संख्या एक से चार व परिवार के लोगो ने वादीगण के 2/12 हिस्से की भूमि के खेत की पटिया व तारबन्दी नही तोड़ी न कभी तोड़ने का प्रयास किया बल्कि वादीगण व इनके द्वारा मेनेज किये गये गुण्डो ने आकर प्रतिवादी संख्या एक से दो की 1/3 हिस्से की पीले रंग के भाग में रोपी पटिया व तारबन्दी की तोडफोड की, मूंग की फसल को नष्ट किया जिसका फौजदारी प्रकरण भी वादीगण व उनके सहयोगीयों के विरूद्ध दर्ज करवाया तथा न्यायालय मे चार्जशीट भी पेश हुई वादीगण ने उतरदाता प्रतिवादीगण के लिये बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है के कथन भी कानूनन आदेश 06 रूल्स 16 सीपीसी के तहत तुच्छ शब्द काम में लिये जो हटाया जावे व भविष्य में भी ऐसे कथन नहीं लिखे वादीगण की एक इंच भूमि पर भी उतरदाता प्रतिवादी संख्या एक व दो ने न तो बताया है तथा सामलाती खातेदारी भूमि एक ही परिवार की होने से अतिक्रमण के शब्द लिखे है जो कतई लागू नहीं होते है। वादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि से वंचित करने अपूर्णिय क्षति होने के कथन भी गलत झूठे व मनमाने अंकित किये है। जबाब वादपत्र मे दर्ज कथनो के आधार पर वादीगण, उतरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादपत्र के पद संख्या चार में दर्ज कथन का जबाब है कि वादीगण ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि को बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश किया है जिसके अभाव में भी वादपत्र पोषणिय नहीं है। वादपत्र के पद संख्या पांच में वादीगण ने बिनाय वाद की जो तारीखे अंकित की है जो गलत है। वादीगण को प्रतिवादीगण उतरदाता के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पेदा नही होता है। वादपत्र के पद संख्या छह कानूनी है । वादपत्र के पद संख्या सात मे वादीगण ने जो अनुतोष चाहा है जो कतई प्राप्त करने का अधिकारी नही है उतरदाता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए बी सी डी ई एफ जी भूमि जो सेटलमेन्ट से लगी खन्दक के अन्दर की है भूमि का नापचौप कर बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो प्रतिवादीगण सहमति है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्रावली शहादतवादी पेश करने के स्तर पर विचारणीय है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए उक्त वाद को माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा हेतू जारी करने का निवेदन किया। इस पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। त: जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी रत आराजी के खातेदार काश्तकार है। खसरा संख्या 171 रकबा 0-08 बीघा म गै.मु.रास्ता, एवं खसरा नम्बर 173 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै.मु.बेरा का ड़ा नही किया जा सकता है। खसरा संख्या 169, 170 तथा 172 में वादीगण प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री ी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक ी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा खिनावड़ी वार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 169 रकबा 05-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 170 रकबा 07-10 बीघा चाही प्रथम, सरा नम्बर 171 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 172 रकबा 10-12 बीघा चाही प्रथम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 123 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 173 रकबा 00-13 बीघा गैर मुमकिन बेरा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/694 दिनांक 15.07.2022 तथा पत्रांक/कोर्ट/2022/760 दिनांक 28.07.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/3303 दिनांक 13/05/2022 तथा क्रमांक/भू0अ0/22/5779 दिनांक 12/09/2022 द्वारा डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 169 रकबा 105-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 170 रकबा 07-10 बीघा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 171 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 172 रकबा 10-12 बीघा चाही प्रथम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 123 बीघा 16 बिस्वा व खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

173 रकबा 00-13 बीघा गैर मुमकिन बेरा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन कित रूप से किया जाता हैः-

नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
धना पुत्र आदा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा जैतारण	169/1	0.6758	चा.प्र.	7.00
	169/3	0.9712	चा.प्र.	-
पुखा पुत्र आदा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	169/2	0.6758	चा.प्र.	7.00
	169/4	0.9712	चा.प्र.	-
ओगड़ पुत्र गेपर 1/5 नारायण पुत्र धोकल 1/5 भाना पुत्र भोला 1/5 रहन आईसीआईसीआई शाखा जैतारण धर्माराम विशनाराम प्रकाशचंद पि. पुखाराम बिदकी पत्नी पुखाराम 1/5 ढगलाराम चम्पालाल पप्पू पि. हीराराम 1/10 नौरतमुल केशाराम पि. मुगना बिदकी पत्नी मुगना 1/10 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	169	13.5409	चा.प्र.	57.55
	170	1.2141	चा.प्र.	5.16
	172	1.7159	चा.प्र.	7.26

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2022 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण जिला-पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

पास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :-

धन्नाराम पुत्र आदाराम
पुखाराम पुत्र आदाराम जातियान
कुमावत निवासी खिनावड़ी तहसील
जैतारण जिला- पाली।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. भानाराम पुत्र भोलाराम
2. पुखाराम पुत्र भोलाराम के का. मु.
   - 2.1 बिदकी पत्नी पुखाराम
   - 2.2 धर्माराम पुत्र पुखाराम
   - 2.3 विशनाराम पुत्र पुखाराम
   - 2.5 छोगाराम पुत्र पुखाराम
3. ओगड़राम पुत्र गेपरराम
4. नारायण पुत्र धोकलराम
5. ढ्गलाराम पुत्र हीराराम
6. चम्पालाल पुत्र हीराराम
7. पप्पुराम पुत्र हीराराम
8. नोरराम पुत्र मुन्नाराम
9. केसा पुत्र मुगनाराम
10. बिदकी पत्नी मुगनाराम
    जातियान- कुमावत निवासीगण
    खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला
    पाली।
11. तहसीलदार जैतारण पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 395/2015

राजस्व **वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई**
निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 53,92ए**
राजस्थान **काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 169 रकबा 105-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 170 रकबा 07-10 बीघा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 171 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 172 रकबा 10-12 बीघा चाही प्रथम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 123 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 173 रकबा 00-13 बीघा गैर मुमकिन बेरा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	धना पुत्र आदा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा जैतारण	169/1	0.6758	चा.प्र.	7.00
		169/3	0.9712	चा.प्र.	-
2.	पुखा पुत्र आदा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	169/2	0.6758	चा.प्र.	7.00
		169/4	0.9712	चा.प्र.	-
3.	ओगड़ पुत्र गेपर 1/5 नारायण पुत्र धोकल 1/5 भाना पुत्र भोला 1/5 रहन आईसीआईसीआई	169	13.5409	चा.प्र.	57.55

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ग्रा जैतारण धर्माराम विशनाराम प्रकाशचंद पि. ग्राराम बिदकी पत्नी पुखाराम 1/5 ढगलाराम ग्यालाल पप्पू पि. हीराराम 1/10 नौरतमुल शाराम पि. मुगना बिदकी पत्नी मुगना 1/10 नेम कुम्हार सा. देह खातेदार	170	1.2141	चा.प्र.	5.16
	172	1.7159	चा.प्र.	7.26

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट जन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य र जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व र ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/09/2022 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं न्यायदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05	-00	स्टाम्प वकालतनामा	03	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी	01	-00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	09	-00	मिजानः-	05	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।